

फॉर्म आश्चर्या

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

श्री हनुमाल / H/11

वेतन संख्या 25/2017 (आशा)

वेतन संख्या  
वेतन का वर्ग

आशा विस्तृत रूप से

1/10  
2024

पत्रावली प्रस्तुत। व.क. उपस्थित। पत्रावली  
आदेश हेतु निपट है। उपपत्र पर कुंजात  
रिपोर्ट पर छह कोरें आपत्ति नहीं की है।  
अतः तदनील फार जायसू से प्राप्त कुंजात  
के आश्चा पर वाद डिफ्री किया जाता है।  
विस्तृत निर्णय एवं डिफ्री प्रमाण से सिखाया  
गया। पत्रावली फेसल शुगर होकर दायर  
दफ्तर है।

सहायक कलक्टर  
आमेर मु. जयपुर



न्यायालय :- सहायक कलक्टर आमेर,  
मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : अंजु वर्मा  
आर.ए.एस.



नियमित वाद संख्या 25/2017

वाद प्रस्तुति दिनांक : 28.02.2017

1. मोहन लाल बलाई पुत्र श्री लालाराम बलाई जाति बलाई निवासी सांचाती तहसील एवं जिला जयपुर। (मृतक दौराने वाद)
  - 1/1. रामप्यारी देवी पत्नी स्व० मोहन लाल बलाई जाति बलाई निवासी ग्राम सांचाती तहसील एवं जिला जयपुर।
  - 1/2. कृष्णा बुनकर पुत्री स्व० मोहन लाल बलाई जाति बलाई निवासी ग्राम सांचाती तहसील एवं जिला जयपुर अवयस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती रामप्यारी देवी।
  - 1/3. राजन वर्मा पुत्र स्व० मोहन लाल बलाई जाति बलाई निवासी ग्राम सांचाती तहसील एवं जिला जयपुर अवयस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती रामप्यारी देवी।
  - 1/4. कविता वर्मा पुत्री स्व० मोहन लाल बलाई जाति बलाई निवासी ग्राम सांचाती तहसील एवं जिला जयपुर अवयस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती रामप्यारी देवी।
  - 1/5. कोमल बुनकर पुत्री स्व० मोहन लाल बलाई जाति बलाई निवासी ग्राम सांचाती तहसील एवं जिला जयपुर अवयस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती रामप्यारी देवी।
  - 1/6. तमन्ना बुनकर पुत्री स्व० मोहन लाल बलाई जाति बलाई निवासी ग्राम सांचाती तहसील एवं जिला जयपुर अवयस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती रामप्यारी देवी।
  - 1/7. दिपेश बुनकर पुत्र पत्नी स्व० मोहन लाल बलाई जाति बलाई निवासी ग्राम सांचाती तहसील एवं जिला जयपुर अवयस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती रामप्यारी देवी।

..... वादीगण

बनाम

1. श्रीमती सीमा देवी पत्नी श्री नंदकिशोर जाति बलाई निवासी ग्राम बिचपडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. रामनिवास पुत्र आशाराम जाति बलाई निवासी ग्राम बिचपडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. श्रीमती लाली देवी पत्नी नारायण लाल जाति बलाई निवासी ग्राम बिचपडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर। (फौत)
  - 3/1. चंदालाल पुत्र श्री स्व. श्री नारायण लाल निवासी - ग्राम बिचपडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
  - 3/2. बनवारी पुत्र स्व. श्री नारायण लाल निवासी ग्राम बिचपडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
  - 3/3. विनोद पुत्र स्व. श्री नारायण लाल निवासी -ग्राम बिचपडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
  - 3/4. कानी पत्नी श्री नारायण लाल निवासी -ग्राम प्रतापपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर।
  - 3/5. कौशल्या पत्नी श्री प्रभु, निवासी -ग्राम जोरपुरा, सुंदरियावास, वाया हिंगोनिया, जिला जयपुर।

- 3/6 सीता देवी पत्नी श्री रामनारायण निवासी ग्राम सारंग का बास, कालवाड,  
तहसील व जिला जयपुर।
4. शिशुपाल पुत्र श्री आशाराम जाति बलाई निवासी ग्राम बिचपडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
  5. श्रीमती किस्तुरी देवी पत्नी श्री तेजपाल जाति बलाई निवासी ग्राम बिचपडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
  6. श्रीमती लाली देवी पत्नी रामस्वरूप जाति बलाई निवासी ग्राम बिचपडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
  7. भैरूलाल बलाई पुत्री श्री नारायण लाल जाति बलाई निवासी ग्राम सांचाती तहसील एवं जिला जयपुर।
  8. सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर पता : तहसील कार्यालय आमेर जयपुर।

.....प्रतिवादीगण



वाद बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा- 53, 188  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक 01.10.2024

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वाद वाके राजस्व ग्राम बिचपडी पटवार हल्का बिचपडी भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 299 रकबा 1.20 हैक्टेयर किस्म बारांनी प्रथम जयपुर में स्थित है उक्त आराजीयात में सभी खातेदारान् अपने-अपने हिस्से अनुसार वादग्रस्त भूमि का बाहमी बंटवारा कर अपने-अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे। वादी एवं प्रतिवादीगण सह खातेदारान् के मध्य हुए बाहमी बंटवारे के अनुसार वादी के हिस्से में आयी भूमि को वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 व उनके पति के द्वारा बाहमी बंटवारे के अनुसार वादी के हिस्से में आयी भूमि कब्जा कर उक्त भूमि पर मकान निर्माण करने के आशय से दिनांक 15.02.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 व उसका पति कुछ लोगों के साथ आये तथा वादग्रस्त भूमि में वादी के हिस्से की भूमि पर हुई तारबंदी को तोड़कर निर्माण के आशय से नींव खोदना प्रारंभ कर दिया। इस पर वादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 1 व उसके पति से निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे, खातेदारी की अविभाजित भूमि है। जिस पर आप बिना विधिवत् विभाजन कराये उक्त भूमि के किसी हिस्से पर निर्माण कार्य नहीं कर सकते तथा ना ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उक्त कृषि भूमि पर निर्माण कार्य कर उसकी किस्म को बदलने का अधिकार प्राप्त है। इस पर वे लोग उस समय तो चले गये, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 व उसके पति ने ऐलानियां धमकी दी कि वे वादग्रस्त भूमि में से अच्छी-अच्छी भूमि जिसमें वादी को बाहमी बंटवारे अनुसार मिली भूमि में अच्छी-अच्छी भूमि भी सम्मिलित है, पर कब्जा कर उस पर निर्माण कार्य करके रहेंगे। इतना ही नहीं प्रतिवादी संख्या 1 की शह पर प्रतिवादी संख्या 5 के द्वारा भी वादी की भूमि की बाउण्ड्रीवाल तोड़कर निर्माण किया जाना प्रारंभ कर दिया है। प्रतिवादीगण एक ही परिवार के होने के कारण प्रतिवादी संख्या 4 इन लोगों को वादी के हिस्से की भूमि पर कब्जा करने को उकसाता है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1, 4 व 5 के द्वारा वादग्रस्त संपत्ति पर विधि विरुद्ध तरीके से निर्माण कार्य

सहायक कलेक्टर  
आमेर ग. जयपुर



करने की धमकी दिये जाने के और तोरबंदी तोड़ देने के कारण वादी को उक्त वाद पेश करना आवश्यक हुआ। वादग्रस्त संयुक्त खाते की भूमि का आज दिवस तक वादी व प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का विभाजन नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण संख्या 1, 4 व 5 वादग्रस्त भूमि के बिना विधिवत् विभाजन हुए उक्त भूमि में से बाहमी बंटवारे अनुसार वादी के हिस्से में आयी भूमि में से अच्छी-अच्छी भूमि पर काबिज होकर निर्माण कार्य करने तथा कृषि भूमि की किस्म को परिवर्तित करने पर आमादा है। जिसका उन्हें कोई हक अधिकार नहीं है। वादग्रस्त भूमि अब तक शामलाती भूमि है जिसका विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है। जिसके प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का अधिकार है। प्रतिवादी संख्या 1, 4 व 5 की बेजा कार्यवाही के कारण अब शामलाती काश्त किया जाना संभव नहीं है इसलिए विवादित भूमि का मुताबिक जमाबंदी बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स कब्जे के आधार पर विधिवत् विभाजन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

वादी ने वादपत्र के साथ प्रमाणित जमाबंदी खसरा नंबर 299 ग्राम बिचपड़ी व प्रमाणित नक्शा की सत्यप्रतिलिपि पेश की। वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 3/1 ता 3/6 बावजूद तामील नोटिस अनुपस्थित रहने पर दिनांक 01.05.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 7 को अनेकों अवसर देने के उपरांत भी जवाब-दावा पेश नहीं करने पर जवाब दावे का अवसर बंद किया गया।

बहस सुनकर वाद बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर दिनांक 28.05.2024 को प्राथमिक डिक्री किया गया। तदानुसार तहसीलदार जालसू को कुर्रैजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार जालसू से कुर्रैजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर वादी व प्रतिवादी संख्या 7 को बहस के अवसर, दिये गये। अतः वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादी ने मुताबिक कुर्रैजात वाद डिक्री करने हेतु निवेदन किया। चूंकि कुर्रैजात पर उभयपक्ष की कोई आपत्ति नहीं है। अतः तहसीलदार जालसू जयपुर ग्रामीण से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट के आधार पर वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:-

1. किस्तुरी देवी पत्नी तेजपाल हि. संपूर्ण जाति बलाई, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 299/6 रकबा 0.0380 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.0380 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में भूरे रंग में दर्शाया गया है।
2. छोटी पत्नी कजोडिया हि. संपूर्ण जाति बलाई सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 299/3 रकबा 0.0285 हैक्टेयर, खसरा नंबर 299/4 रकबा 0.0190 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.0475 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है।
3. भैरू पुत्र नारायण हि. संपूर्ण जाति बलाई सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 299/11 रकबा 0.3420 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.3420 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में पीले रंग में दर्शाया गया है।

4. मोहन पुत्र लालाराम हि. संपूर्ण जाति बलाई सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 299/10 रकबा 0.3420 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.3420 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग में दर्शाया गया है।
5. रामनिवास पुत्र आशाराम हि. संपूर्ण जाति बलाई सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 299/7 रकबा 0.1187 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.1187 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में उचित रंग से में दर्शाया गया है।
6. लाली देवी पत्नी नारायण हि. संपूर्ण जाति बलाई सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 299/8 रकबा 0.1188 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.1188 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है।
7. लाली देवी पत्नी रामस्वरूप हि. संपूर्ण जाति बलाई सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 299/5 रकबा 0.0285 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.0285 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में आसमानी रंग से दर्शाया गया है।
8. शिशुपाल पुत्र आशाराम हि. संपूर्ण जाति बलाई सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 299/9 रकबा 0.0855 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.0855 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में स्लेटी रंग में दर्शाया गया है।
9. सीमा देवी पत्नी नंदकिशोर हि. संपूर्ण जाति बलाई सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 299/2 रकबा 0.0190 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.0190 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में केसरिया रंग में दर्शाया गया है।
10. किस्तुरी पत्नी तेजपाल हि. 1/30, छोटी पत्नी कजोडिया हि. 1/24, भैरू पुत्र नारायण हि. 3/10 मोहन पुत्र लालाराम हि. 3/10, रामनिवास पुत्र आशाराम हि. 5/48, लाली देवी पत्नी नारायण लाल हि. 5/48, लाली देवी पत्नी रामस्वरूप हि. 1/40 शिशुपाल पुत्र आशाराम हि. 3/40, सीमादेवी पत्नी नंद किशोर हि. 1/60 समस्त जातियान बलाई सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 299/1 रकबा 0.0600 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में सफेद रंग से दर्शाया गया है।

अतः वादी का वाद मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफतर हो।



सहायक कलेक्टर  
आमेर मुठ जयपुर

## अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्त्दाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर आमेर, मु० जयपुर  
पीठासीन अधिकारी अंजू वर्मा (आर.ए.एस)



नियमित वाद संख्या 25/2017

वाद प्रस्तुति दिनांक : 28.02.2017

1. मोहन लाल बलाई पुत्र श्री लालाराम बलाई जाति बलाई निवासी सांचाती तहसील एवं जिला जयपुर। (मृतक दौराने वाद)

- 1/1. रामप्यारी देवी पत्नी स्व० मोहन लाल बलाई जाति बलाई निवासी ग्राम सांचाती तहसील एवं जिला जयपुर।
- 1/2. कृष्णा बुनकर पुत्री स्व० मोहन लाल बलाई जाति बलाई निवासी ग्राम सांचाती तहसील एवं जिला जयपुर अवयस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती रामप्यारी देवी।
- 1/3. राजन वर्मा पुत्र स्व० मोहन लाल बलाई जाति बलाई निवासी ग्राम सांचाती तहसील एवं जिला जयपुर अवयस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती रामप्यारी देवी।
- 1/4. कविता वर्मा पुत्री स्व० मोहन लाल बलाई जाति बलाई निवासी ग्राम सांचाती तहसील एवं जिला जयपुर अवयस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती रामप्यारी देवी।
- 1/5. कोमल बुनकर पुत्री स्व० मोहन लाल बलाई जाति बलाई निवासी ग्राम सांचाती तहसील एवं जिला जयपुर अवयस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती रामप्यारी देवी।
- 1/6. तमन्ना बुनकर पुत्री स्व० मोहन लाल बलाई जाति बलाई निवासी ग्राम सांचाती तहसील एवं जिला जयपुर अवयस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती रामप्यारी देवी।
- 1/7. दिपेश बुनकर पुत्र पत्नी स्व० मोहन लाल बलाई जाति बलाई निवासी ग्राम सांचाती तहसील एवं जिला जयपुर अवयस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती रामप्यारी देवी।

..... वादीगण

बनाम

1. श्रीमती सीमा देवी पत्नी श्री नंदकिशोर जाति बलाई निवासी ग्राम बिचपडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. रामनिवास पुत्र आशाराम जाति बलाई निवासी ग्राम बिचपडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. श्रीमती लाली देवी पत्नी नारायण लाल जाति बलाई निवासी ग्राम बिचपडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर। (फौत)
  - 3/1. चंदालाल पुत्र श्री स्व. श्री नारायण लाल निवासी - ग्राम बिचपडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
  - 3/2. बनवारी पुत्र स्व. श्री नारायण लाल निवासी ग्राम बिचपडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
  - 3/3. विनोद पुत्र स्व. श्री नारायण लाल निवासी -ग्राम बिचपडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
  - 3/4. कानी पत्नी श्री नारायण लाल निवासी -ग्राम प्रतापपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर।
  - 3/5. कौशल्या पत्नी श्री प्रभु, निवासी -ग्राम जोरपुरा, सुंदरियावास, वाया हिंगोनिया, जिला जयपुर।



प्रकरण संख्या - 25/2017  
बउनवानी - मोहनलाल बनाम सीमा देवी वगै०  
निर्णय दिनांक :- 01.10.2024

- 3/6 सीता देवी पत्नी श्री रामसाराधरण निवासी ग्राम सारंग का बास, कालवाड, तहसील व जिला जयपुर।
4. शिशुपाल पुत्र श्री आशाराम जाति बलाई निवासी ग्राम बिचपडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. श्रीमती किस्तुरी देवी पत्नी श्री तेजपाल जाति बलाई निवासी ग्राम बिचपडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
6. श्रीमती लाली देवी पत्नी रामस्वरूप जाति बलाई निवासी ग्राम बिचपडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
7. भैरूलाल बलाई पुत्री श्री नारायण लाल जाति बलाई निवासी ग्राम सांचाती तहसील एवं जिला जयपुर।
8. सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर पता : तहसील कार्यालय आमेर जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अंतर्गत धारा- 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 01.10.2024

मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:-

1. किस्तुरी देवी पत्नी तेजपाल हि. संपूर्ण जाति बलाई, सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 299/6 रकबा 0.0380 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.0380 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में भूरे रंग में दर्शाया गया है।
2. छोटी पत्नी कजोडिया हि. संपूर्ण जाति बलाई सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 299/3 रकबा 0.0285 हैक्टेयर, खसरा नंबर 299/4 रकबा 0.0190 हैक्टेयर कुल किता 2. कुल रकबा 0.0475 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है।
3. भैरु पुत्र नारायण हि. संपूर्ण जाति बलाई सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 299/11 रकबा 0.3420 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.3420 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में पीले रंग में दर्शाया गया है।
4. मोहन पुत्र लालाराम हि. संपूर्ण जाति बलाई सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 299/10 रकबा 0.3420 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.3420 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग में दर्शाया गया है।
5. रामनिवास पुत्र आशाराम हि. संपूर्ण जाति बलाई सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 299/7 रकबा 0.1187 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.1187 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में उचित रंग में दर्शाया गया है।
6. लाली देवी पत्नी नारायण हि. संपूर्ण जाति बलाई सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 299/8 रकबा 0.1188 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.1188 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है।
7. लाली देवी पत्नी रामस्वरूप हि. संपूर्ण जाति बलाई सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 299/5 रकबा 0.0285 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.0285 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में आसमानी रंग से दर्शाया गया है।

8. शिशुपाल पुत्र आशाराम हि. संपूर्ण जाति बलाई सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 299/9 रकबा 0.0855 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.0855 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में स्लेटी रंग में दर्शाया गया है।
9. सीमा देवी पत्नी नंदकिशोर हि. संपूर्ण जाति बलाई सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 299/2 रकबा 0.0190 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.0190 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में केसरिया रंग में दर्शाया गया है।
10. किस्तुरी पत्नी तेजपाल हि. 1/30, छोटी पत्नी कजोडिया हि. 1/24, भैरु पुत्र नारायण हि. 3/10 मोहन पुत्र लालाराम हि. 3/10, रामनिवास पुत्र आशाराम हि. 5/48, लाली देवी पत्नी नारायण लाल हि. 5/48, लाली देवी पत्नी रामस्वरूप हि. 1/40 शिशुपाल पुत्र आशाराम हि. 3/40, सीमादेवी पत्नी नंद किशोर हि. 1/60 समस्त जातियान बलाई सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 299/1 रकबा 0.0600 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.0600 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में सफेद रंग से दर्शाया गया है।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 01.10.2024 को जारी किया।

दस्तख्त ———  
ओहदा ———



सहायक कलक्टर  
आमेर मु० जयपुर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रुपये	—	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रुपये	—
स्टाम्प वकालतनामा	2 रुपये	—	स्टाम्प वकालतनामा	2 रुपये	—
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	स्टाम्प वजह सबूत	—	—
महन्ताना वकील	—	—	महन्ताना वकील	—	—
खर्चा गवाहन	—	—	खर्चा गवाहन	—	—
फीस कमिश्नर	—	—	फीस कमिश्नर	—	—
बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रुपये	—	बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रुपये	—
मुतफरित	—	—	मुतफरित	—	—
मीजान	—	—	मीजान	—	—